कुलानुशासक कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय
(ACCREDITED A++ BY NAAC)

दिनांक 11.07.2026

प्रेस–विज्ञप्ति
आवश्यक सूचना

लखनऊ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र–2026–2027 का आरम्भ दिनांक 13.07.2026 से हो रहा है। विगत वर्षों की भाँति लखनऊ विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में शान्ति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है:–

1. लखनऊ विश्वविद्यालय के समस्त सम्मानित शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित वाहन स्टैण्ड पर अपना वाहन खड़ा करने के उपरान्त परिसर में प्रवेश करने का कष्ट करें ।
2. छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वह अपना वाहन परिसर स्थित निर्धारित वाहन–स्टैण्ड द्वार संख्या 01, परीक्षा विभाग के पीछे, विवेकानन्द द्वार (द्वार संख्या 03) तथा द्वार संख्या 07 पर खड़ा करने के उपरान्त शैक्षणिक परिसर में पैदल प्रवेश करने का कष्ट करें।
3. परिसर में आने वाले सभी आगन्तुकों हेतु पैदल प्रवेश द्वार संख्या 01, द्वार संख्या 02, विवेकानन्द द्वार (द्वार संख्या 03), द्वार संख्या 04 एवं द्वार संख्या 07 से रहेगा।
4. शैक्षणिक परिसर में छात्र–छात्राओं का वाहन सहित प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। यदि कोई छात्र प्रवेश द्वार से अनाधिकृत रूप से अपने वाहन सहित प्रवेश करने की चेष्टा करेगा अथवा परिसर में वाहन सहित घूमता हुआ पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक/विधिक कार्यवाही की जायेगी।
5. छात्र–छात्रायें परिसर में अनावश्यक रूप से समूह बनाकर इधर–उधर न बैठे और न ही घूमें।
6. शैक्षणिक परिसर में बाहरी छात्रों/व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। बिना किसी उपयुक्त कारण के परिसर में घूमने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सम्यक् कार्यवाही की जायेगी।
7. छात्र–छात्राएँ अपने साथ अपना परिचय–पत्र अथवा छात्रत्व की पुष्टि हेतु अभिलेख प्रतिदिन अपने साथ लेकर आयेंगे।
8. लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शैक्षणिक परिसर को स्वच्छ एवं हरित परिसर के साथ–साथ "वाहन निषिद्ध क्षेत्र" (No Vehicle Zone) बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है।
9. परिसर में प्रवेश हेतु जिन शिक्षको, अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा दिव्याँग छात्र–छात्राओं को इस कार्यालय द्वारा वाहन पास निर्गत किये गये हैं, उन्हें विवेकानन्द द्वार से परिसर में प्रवेश दिया जायेगा।
10. परिसर में आग्नेयास्त्रों (वैधानिक एवं अवैधानिक) का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित है।

अतः सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि उक्त व्यवस्था का अनुश्रवण कर विश्वविद्यालय प्रशासन का यथेष्ठ सहयोग करने का कष्ट करें।

कुलानुशासक
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ

संख्या : 2243-84 दिनांक 11.07.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1 निजी सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय के सूचनार्थ ।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. समस्त संकायाध्यक्ष को इस आशय के साथ प्रेषित कि समस्त विभागाध्यक्षों को उक्त आशय की सूचना प्रसारित करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
4. मुख्य अभिरक्षक, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रावास, लखनऊ ।
5. निदेशक, समस्त संस्थान/समस्त पुस्तकालयाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
6. अपर कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय, द्वितीय परिसर, लखनऊ ।
7. कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
8. वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
9. निदेशक, आई0पी0पी0आर0, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना समस्त समाचार–पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
10. इंचार्ज लखनऊ विश्वविद्यालय बेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ ।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर–टी0जी0) लखनऊ ।
3. अपर नगर मैजिस्ट्रेट, (पंचम/षष्ट्म), लखनऊ ।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ ।
5. पुलिस उप आयुक्त (मध्य, उत्तरी), लखनऊ ।
6. अपर पुलिस उप आयुक्त (मध्य) लखनऊ ।
7. सहायक पुलिस आयुक्त, महानगर/अलीगंज, लखनऊ ।
8. प्रभारी निरीक्षक, हसनगंज/जानकीपुरम लखनऊ ।
9. प्रभारी, पुलिस चौकी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

कुलानुशासक
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ